Speed Post

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(8)एमई / ग्रुप–1 / 2019 जयपुर, दिनांक : 02 NOV 2020

आदेश

डॉ0 विष्णु कुमार सैनी (मेरिट क्रमांक M-34A / पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 26.02.1988) को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(276)एम.ई / ग्रुप–1 / 2017 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर मेडिकल कॉलेज, अजमेर में एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। जिसके क्रम में डॉ0 सैनी द्वारा दिनांक 13.05.2019 को मेडिकल कॉलेज अजमेर में सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर के पत्र क्रमांक 20627 संस्थापन–1 / एमसीए / 2020 दिनांक 20.05.2020 के अनुसार डॉ0 सैनी परिवीक्षाकाल में दिनांक 18.05.2019 से 23.01.2020 तक कुल 241 दिवस तथा दिनांक 25.01.2020 से लगातार स्वैच्छा से राजकीय सेवा से अनुपस्थित रहे है। डॉ0 सैनी कार्यग्रहण तिथि 13.05.2019 से अब तक केवल 13 दिवस ही उपस्थित रहे। स्वैच्छा से लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर इस संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु इस विभाग के समसंख्यक रजिस्टर्ड नोटिस पत्र दिनांक 19.08.2020 द्वारा डॉ0 सैनी को सुनवाई अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में डॉ0 सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण बिना दस्तावेजी साक्ष्य के था एवं संतोषजनक नही पाया गया।

अतः डॉ0 विष्णु कुमार सैनी, सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज अजमेर के परिवीक्षा काल में राजकीय सेवा से बिना अनुमति के दिनांक 25.01.2020 से स्वैच्छा से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परिवीक्षा काल में इनकी सेवाएं असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान एवं कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.7(2)DOP/A-II/2005 दिनांक 13.06.2008 के प्रावधान अनुसार डॉ0 विष्णु कुमार सैनी की सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन पद की सेवा एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

28.10.2020

(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(276)एम.ई / ग्रुप–1 / 2017 दिनांक 22.01.2019 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 20627 संस्थापन–1 / एमसीए / 2020 दिनांक 20.05.2020 के संदर्भ में।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ0 विष्णु कुमार सैनी पुत्र श्री कानाराम सैनी, बोराली ढ़ाणी, ग्राम पोस्ट– सामोद, तहसील चौमू, जिला–जयपुर (राज.)(**रजिस्टर्ड डाक से**)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(शिव शंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव